Times of India.
13-2-2014

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त अभियंत्रण, पोलिटेकनिक संस्थान में प्रवेश के लिए आवश्यक सूचनार्थ

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पेटीशन (सिविल) संख्या–350/1993 (इस्लामिक एकेडमी ऑफ एडुकेशन तथा अन्य बनाम कर्नाटक सरकार एवं अन्य) में दिनांक–14.08.2003 को तथा रिट पेटीशन (सिविल) संख्या–5041/2005 में दिनांक–12.08.2005 (पी0ए0 ईनामदार तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र सरकार एवं अन्य) को पारित आदेश के आलोक में निजी प्रक्षेत्र के मान्यता प्राप्त वैसे अभियंत्रण/पोलिटेकनिक संस्थान जिन्हें कोई सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो रही है, में छात्र/छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण आदि के लिए विभाग द्वारा समिति का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या–336, दिनांक–05.02.2014 द्वारा कर दिया गया है, जो विभागीय बेबसाईट dst.bih.nic.in पर उपलब्ध है। उक्त आदेशों के अनुसार राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त अभियंत्रण, पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रवेश बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा की माध्यम से अथवा विभाग द्वारा गठित समिति के पर्यवेक्षण में राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त अभियंत्रण, पोलिटेकनिक संस्थान के प्रबन्धन के एसोसिएशन द्वारा संचालित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से ही लिया जाना है। अतः प्रेस विज्ञप्ति निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर राज्य के सभी मान्यता प्राप्त संस्थान अपना विकल्प संस्थान के मान्यता पत्र के साथ विभाग को उपलब्ध करा देंगे कि वे बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से नामांकन करना चाहते है अथवा निजी संस्थानों के एसोसिऐशन के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा संचालित कराकर नामांकन लेना चाहते है।

ह0/– (विनय कुमार)
निदेशक

पी0आर0 13930(प्रावै0)13–14

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

बिहार सरकार

...का कार्यालय

अनन्त कुमार
13/2/2014